के लिए दिनांक 29.7.21 को पेश हो।

29.7.21 वकील पक्षकारान उपस्थित है। वकील अप्रार्थी ने No instruction दर्ज किया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 7-I के लिए दि० 26.8.21 को पेश हो।

No Interest Sand Indravee (?)

26/8/21 वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 9.9.21
को पेश हो।

9.9.21 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/ अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 6.1.22 को पश हो।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के कैम्प कोर्ट ... जावे

2.10.2021 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-21 के तहत कैम्प कोर्ट रजलावता में पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बादतामील संलग्न है। उभयपक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रार्थना पत्र 7-I सुनी गई। पत्रावली में प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि ग्राम राजलड़ी पटवार हल्का रजलावता तहसील नैनवां की खसरा सं. 400/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रार्थिया ने अप्रार्थी से 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2014 से समस्त अधिकारों सहित क्रय की थी, जिस पर प्रार्थिया काबिज काश्त चली आ रही है इसके पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:22:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (भूम्य)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थिया ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थी की ओर से अपने जवाब मे किसी प्रकार कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नही किया। हमने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों, शपथ-पत्र एवं प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी सं. 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम रूखड़ी पटवार मण्डल रजलावता तहसील नैनवां की खाता सं. 24 मुताबिक 26 नया मे खसरा सं. 400/1 की रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा मे से प्रार्थिया को बेचान की गई 1 बिस्वा आराजी जिस पर बाउन्ड्री कर रखी है, तथा खसरा सं. 400/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से प्रार्थिया द्वारा क्रय की गई दक्षिण साईड मे पूर्व से पश्चिम 5 फिट 3 इन्च, व उत्तर से दक्षिण 40 फिट यानि 210 वर्गफिट भूमि लगभग एक बिस्वा का चौथाई हिस्सा भूमि पर से प्रार्थिया को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करके कब्जा नही करे, तथा प्रार्थिया को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करके कब्जा नही करे, तथा प्रार्थिया के शान्तिपूर्ण उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नही करे, तथा अन्य बाधा उत्पन्न नही करे, तथा पूर्व में की गई बाउण्ड्री वाल को हटाने या क्षति पहुंचाने का प्रयास नही करे, न अन्य से ऐसा करवाये, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद अप्रार्थी सं. 1 को पाबंद किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर मूल [illegible] साथ संलग्न रहे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:22:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)